



ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)  
(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर - 2025 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान.....बालास.....

दिनांक :- 27/09/25


-:: आदेश ::-


प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी बालास  
भू-अभिलेख निरीक्षक निवाहेडा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कपासनकी अनुशंघा के आधार पर राजस्व  
भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम जलवाली डा खेडा तहसील कपासन  
चित्तौड़गढ़की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 जमाबन्दी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी में खाता संख्या 32  
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि कोइ निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद  
आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>जलवाली डा खेडा</u>	<u>32</u>	<u>नारायण पिता पुन्या खमार वीं ज० ब०</u>	<u>नारायण पिता पुन्या जटिया शे.न. ब०</u>

क्रमांक / 21.07.19/2025/159  
प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, कपासन को भेज कर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शोध किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री नारायण पिता पुन्या जटिया को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

  
सहायक कलक्टर (पीठासीन अधिकारी) एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़  
दिनांक :- 27/09/25

  
पीठासीन अधिकारी सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़